परिशिष्ट–एक
(देखिए पैरा 3 (क))

अनुप्रमाणन फार्म

चेतावनी :

1. अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन अधीन नियोजन के लिये अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा ।

2. यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफतार किया जाता है, अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है या उसे दोषसिद्व पाया जाता है, अथवा उसे विवर्जित किया जाता है या दोषमुक्त किया जाता है तो ब्यौरे, यथास्थिति, राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को, जिसे अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किये जाना चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है । अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफतार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था, आदि भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर गए हों (खात्मा), वापस ले लिये गये हों, या उनमें अन्ततः दोषमुक्ति हो गयी हो या समझौता कर लिया गया हो ।

3. यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी दी गई है या यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो, उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी ।

---

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) तथा उपनाम, यदि कोई हो (यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुलनाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया उसका उल्लेख कीजिए) — कुलनाम (सरनेम) ....नाम ....

---

2. वर्तमान पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला या या घर कमांक, गली (मार्ग) सड़क तथा नगर और राज्य, जिसमें वह स्थित हो)

3.(क) घर का पूरा पता (अर्थात ग्राम, थाना तथा जिला या घर क्रमांक, गली (मार्ग) सड़क तथा नगर औरजिला मुख्यालय का नाम और राज्य, जिसमें वह स्थित हो) — (क)

....

(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ में प्रवास की तारीख । — (ख)

....

4. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे, जहॉ आप पिछले पॉच वर्षो के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों, यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए जहॉ आप 21 वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों.

से	तक	निवास का पूरा पता (अर्थात् ग्राम थाना तथा जिला, अथवा घर कमांक, गली (मार्ग) सड़क तथा नगर)	पूर्ववर्ती खाने में उल्लिखित स्थान के जिला–मुख्यालय का तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित हो.
(1)	(2)	(3)	(4)

5. पिता का –

(क) पूरा नाम तथा उपनाम, यदि कोई हो .... (क)

(ख) वर्तमान डाक–पता (यदि स्वर्गवास हो गया हो तो पिछला पता दीजिए) .... (ख)

(ग) घर का स्थायी पता .... (ग)

(घ) व्यवसाय .... (घ)

(ड.) यदि किसी सेवा में हों तो उनका पदनाम तथा कार्यालय का पता दीजिए. .... (ड.)

6. (एक) नीचे उल्लिखित् व्यक्तियों की राष्ट्रीयता –

(क) पिता .... (क)

(ख) माता .... (ख)

(ग) पति / पत्नि .... (ग)

(घ) उम्मीदवार .... (घ)

(दो) पति / पत्नि का जन्मस्थान .... (दो)

7. (क) जन्म तारीख .... (क)

(ख) वर्तमान आयु .... (ख)

(ग) मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु .... (ग)

8. (क) जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो, ...(क)

(ख) वह जिला तथा राज्य जहां के आप निवासी हैं. ....(ख)

9. (क) आपका धर्म ....(क)

(ख) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य हैं ? हॉ या नहीं में उत्तर दीजिए और यदि आपका उत्तर हॉ में हो तो उस जाति विशेष का नाम लिखिए. ....(ख)

10. शैक्षणिक अर्हताएँ :—

वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहॉ आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो.

शाला/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा नाम	प्रवेश की तारीख	शाला/महाविद्यालय छोड़ने की तारीख	उत्तीर्ण परीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)

11. यदि आप कभी नियोजित रहे हों तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए :—

धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप	अवधि से	अवधि तक	कार्यालय, फर्म अथवा संस्था का पूरा पता	पिछली सेवा छोड़ने के कारण
(1)	(2)		(3)	(4)

12. (क) क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं ? क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है ? क्या आप कभी निरूद्ध किए गए हैं या आपसे मुचलका लिया गया है/आप पर जुर्माना किया गया है ? क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं/किए जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है/उसके लिए अनर्ह ठहराया गया है या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है/निष्काषित किया गया है ?

(ख) क्या इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्था में आपके विरूद्व कोई मामला लंबित है ? यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हॉं में हो तो आपको इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय मामले, गिरफतारी, निरोध, जुर्माने, दोषसिद्व तथा दंडादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय / विश्वविद्यालय / शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए । इस जानकारी के अतिरिक्त, जहॉं लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिए जाएगें :–

(एक) अपराध / आरोप.
(दो) पुलिस थाने में पंजीयित.
(तीन) यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम.
(चार) मामले का कमांक, न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया.
(पांच) दिया गया दण्ड.
(छः) क्या दोषमुक्त कर दिया गया ?
(सात) दोषमुक्ति संदेह के लाभ पर आधारित थी या मामला वापस ले लिया गया था.

(ग) क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरूद्व घोषित किया गया था अथवा किया गया है, के सदस्य हैं, या उससे नियोजित रहे हैं ? यदि ऐसा हो, तो पूर्ण विशिष्टियां दें, जैसे संगम / संगठन का नाम, सदस्यता अथवा संबंद्वता की कालावधि / अवधि / इत्यादि.

टिप्पणी :– अभ्यर्थी इस अनुप्रमाणन फार्म के उपर दी गई चेतावनी नोट करें.

....
उम्मीदवार के हस्ताक्षर
तारीख .... स्थान ....

---

13. आपके मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों या दो निदेशियों (रेफरियों) के नाम, जो आपको जानते हों. — (1)

(2)

....

मैं प्रमाणित करता हूॅं कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, सही और पूर्ण हैं, मैं ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूॅं, जिसके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हों, मैं इस बात से सहमत हूॅं कि यदि उपर्युक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाए तो नियुक्ति प्राधिकारी को, बिना सूचना दिए या बिना कारण बताए मेरी सेवाऍं समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा.

....
उम्मीदवार के हस्ताक्षर
तारीख .... स्थान ....

पहचान प्रमाण–पत्र

(प्रमाण–पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होने चाहिए)

(एक) केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी.

(दो) संसद या राज्य विधान–मंडल का सदस्य.

(तीन) सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट / अधिकारी.

(चार) तहसीलदार या नायब / उप तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो.

(पॉच) शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख.

(छः) खण्ड विकास अधिकारी.

(सात) पोस्ट मास्टर.

(आठ) पंचायत निरीक्षक.

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री / श्रीमती / कुमारी .... पिता / पति का नाम श्री .... को पिछले .... वर्ष ..... माह से जानता हूँ तथा उनके द्वारा दिए गए ब्यौरे जहॉ तक मुझे पता है और जहॉ तक मेरा विश्वास है, सही है ।

स्थान ....

तारीख ....

हस्ताक्षर ....

पदनाम या स्थिति ....
तथा पता

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम ....
पदनाम और पूरा पता ....

(दो) वह पद, जिसके लिए उम्मीदवार ....
के संबंध में विचार किया जा रहा है. ....

****